कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–ए/115–880/ नवा रायपुर, दिनांक 4/10/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act 1980, Proposed for Bharat Net Phase-II Kanger Valley National Park, Jagdalpur, Forest Division **"Bharat Net Project which is a GOI initiative, Under this project, Conectivity will be Provided at 5,987 GPs & 85 Block through optic fibre cable laying of approximately 32.466 K.M. the laying of Optical Fiber cable 32.466 K.M. will involve 26 District across the State", area 1.005 ha. regarding.**

संदर्भ:– 1. छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–28/2023/10–2 दिनांक 17.08.2023

2. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर का पत्र क/व. जी/त.अधि./2061 दिनांक 03.10.2023

※※※※※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों को अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र–1 द्वारा उक्त प्रकरण में 05 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्ताव में बिन्दु क्रमांक 01 से 05 तक त्रुटियों के निराकरण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

क्र	पाई गयी त्रुटियाँ	निराकरण
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 51 में व्यवस्थित Part-III के बिन्दु क्रमांक–7 तथा 8 की जानकारी/दस्तावेज प्रदाय नहीं किये गये है। इसी तरह पृष्ठ क्रमांक 52 के बिन्दु कमांक 13 में Nil लिखा है जबकि Yes/No में अंकित किया जाना था यही बिन्दु क्रमांक 14, 15 तथा 16 में Not Applicable लिखा है जबकि इसमें विस्तृत उत्तर प्रदाय किया जाना है।	यह बिंदु प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 30 एवं 31 से सम्बंधित है। Part-III में उठाये गये सभी बिन्दुओं का जानकारी तैयार कर संलग्न है।
2.	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 21.06.2021 में प्रदायित अनुशंसा अनुसार Kanger Vally National Park के 1.005 हे. वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है किन्तु इसका विस्तृत वर्णन नही दिया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा जिस 1.005 हे. वनक्षेत्र मे OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है उस वनक्षेत्र में आवेदित वनक्षेत्र सम्मिलित है।	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 21.06.2021 में प्रदायित अनुशंसा अनुसार Kanger Vally National Park के 1.005 हे. वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है। राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा जिस 1.005 हे. वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है, उस वनक्षेत्र में ही आवेदित वनक्षेत्र सम्मिलित है। संस्थान द्वारा दी गयी जानकारी संलग्न है।
3.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग), नईदिल्ली के	संस्थान द्वारा दी गयी जानकारी के साथ NOC संलग्न है।

क्र	पाई गयी त्रुटियाँ	निराकरण
	दिशा निर्देश क्रमांक 6–175/2017/WL दिनांक 19.02.2018 में वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र के OFC प्रकरणों को राज्य शासन से अनुमति दिये जाने का प्रावधान है इसके शर्त क्रमांक–7 में निम्न प्रावधान है :–"The user agency will have to submit NOC from the agency which holds the right to use the right of way." उक्त NOC प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	
4.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग) नई दिल्ली के उक्त दिशा निर्देश दिनांक 19.02.2018 के शर्त क्रमांक 9 में निम्न निर्देश है:– "The State Board for Wildlife shall also suggest the time frame for completingof work on laying of drinking water pipeline and optical fiber cables within the pas after taking into account all the factors/issues involves in the work; यह स्पष्ट करें कि State Board for Wildlife द्वारा विषयांकित कार्य हेतु क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है।	State Board for Wildlife द्वारा विषयांकित कार्य हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नही की गयी है। संस्थान द्वारा दी गयी जानकारी संलग्न है।
5.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग), नई दिल्ली के उक्त दिशा निर्देश दिनांक 19.02.2018 के अन्य शर्तों पर आवेदक का वचन पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।	वचन पत्र संलग्न है। संस्थान द्वारा दी गयी जानकारी संलग्न है।

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर से प्राप्त जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– संदर्भ पत्र–2 की छायाप्रति

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–ए/115– 880/2327 नवा रायपुर, दिनांक 4/10/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक**, (वन्यप्राणी) अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य वन संरक्षक**, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
3. **मुख्य वन संरक्षक**, (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर।
4. **निदेशक**, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़।
5. **वनमंडलाधिकारी**, बस्तर वनमंडल, बस्तर, छत्तीसगढ़।
6. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़

Phone/Fax No. 07782-225073, E Mail ID - ccfwljdp@gmail.com, ccfwljdp@rediffmail.com

क्रमांक/व.जी./त.अधि./2061 जगदलपुर, दिनांकः 03/.09.2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध),
अरण्य भवन, अटल नगर
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषयः– **Diversion of Forest land for non-forest pupose under FCA, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Kanger Valley National Park- Jagdalpur be provided at Bharat Net Project which is a GOI initiative. Under this Project, connectivity will be provided at 5,987 GPS &85 blocks through optical fibre cable laying of approximately 32,466 KM the laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, Area 1.005 ha. reg.**

संदर्भः–1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ0ग0 का पत्र क्र./एफ 5–28/2023/10–2, दिनांक 17.08.2023

2. निदेशक कां.रा.उ.जगदलपुर का पत्र क्रमांक /2823 दिनांक 20.09.2023

–00000–

विषयातंर्गत निवेदन है कि, सदर्भित पत्र क्रमांक 01 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर अंतर्गत भारत नेट परियोजना के तहत ऑप्टिकल फॉयबर केबल स्थापना हेतु 1.005 हे.भूमि में ऑप्टिकल फॉयबर बिछाने हेतु उठाये गये आपत्तियों का निराकरण कर निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक–02 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः जानकारी आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं
क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व,
जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / व.प्रा. / त.अधि. / 2062 जगदलपुर, दिनांकः 03/.09.2023

प्रतिलिपिः—

01. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अटल नगर, नवा रायपुर छ0ग0 को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

02. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर छ0ग0 को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

03. निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी(चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग , सिविल लाईन, रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित। ।

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं
क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व,
जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़

निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़

Phone/Fax No. 07782-228640, E Mail ID – kvnp.2007@rediffmail.com

क्रमांक / व.प्रा. / त.अधि. / 2823 जगदलपुर, दिनांकः 20/09/2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (व.जी.) एवं
क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व
जगदलपुर।

विषयः– **Diversion of Forest land for non-forest purpose under FCA, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Kanger Valley National Park, Jagdalpur be Provided at Bharat Net Project which is a GOI initiative. Under this Project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 blocks through optical fibre cable laying of approximately 32,466 KM the laying of Optical Fibre cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, Area 1.005 ha.reg.**

संदर्भः– अवर सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन का क्रमांक / एफ 5–28 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, दिनांक 17 / 08 / 2023।

–00–

विषयांकित प्रकरण में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जो त्रुटियाँ पाई गयी है, उनका निराकरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	पाई गयी त्रुटियाँ	निराकरण
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 51 में व्यवस्थित Part-III के बिन्दु क्रमांक–7 तथा 8 की जानकारी/दस्तावेज प्रदाय नहीं किये गये है। इसी तरह पृष्ठ क्रमांक 52 के बिन्दु कमांक 13 में Nil लिखा है जबकि Yes/No मे अंकित किया जाना था यही बिन्दु क्रमांक 14, 15 तथा 16 में Not Applicable लिखा है जबकि इसमें विस्तृत उत्तर प्रदाय किया जाना है।	यह बिंदु प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 30 एवं 31 से सम्बंधित है। Part-III में उठाये गये सभी बिन्दुओं का जानकारी तैयार कर संलग्न है।
2.	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 21. 06.2021 में प्रदायित अनुशंसा अनुसार Kanger Vally National Park के 1.005 हे, वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है किन्तु इसका विस्तृत वर्णन नही दिया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा जिस 1.005 हे. वनक्षेत्र मे aOFC बिछाने की अनुशंसा की गई है उस वनक्षेत्र में आवेदित वनक्षेत्र सम्मिलित है।	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 21.06.2021 में प्रदायित अनुशंसा अनुसार Kanger Vally National Park के 1.005 हे, वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है। राज्य बन्यजीव बोर्ड द्वारा जिस 1.005 हे. वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है, उस वनक्षेत्र में ही आवेदित वनक्षेत्र सम्मिलित है। संस्थान द्वारा दी गयी जानकारी संलग्न है।

3.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग), नईदिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक 6&175/2017/WL दिनांक 19.02.2018 में वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र के OFC प्रकरणों को राज्य शासन से अनुमति दिये जाने का प्रावधान है इसके शर्त क्रमांक–7 में निम्न प्रावधान है :–"The user agency will have to submit NOC from the agency which holds the right to use the right of way." उक्त NOC प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	संस्थान द्वारा दी गयी जानकारी के स... NOC संलग्न है।
4.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग) नई दिल्ली के उक्त दिशा निर्देश दिनांक 19.02. 2018 के शर्त क्रमांक 9 में निम्न निर्देश है:– "The State Board for Wildlife shall also suggest the time frame for completingof work on laying of drinking water pipeline and optical fiber cables within the pas after taking into account all the factors/issues involves in the work; यह स्पष्ट करें कि State Board for Wildlife द्वारा विषयांकित कार्य हेतु क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है।	State Board for Wildlife द्वारा विषयांकित कार्य हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नही की गयी है। संस्थान द्वारा दी गयी जानकारी संलग्न है।
5.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग), नई दिल्ली के उक्त दिशा निर्देश दिनांक 19.02. 2018 के अन्य शर्तों पर आवेदक का वचन पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।	वचन पत्र संलग्न है। संस्थान द्वारा दी गयी जानकारी संलग्न है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

निदेशक
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

क्रमांक 1201/मुकाअ/चिप्स/2023 रायपुर, दिनांक 01/09/2023

प्रति,

निदेशक,
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर, जिला – बस्तर (छत्तीसगढ़)

विषय : Diversion of forest land for non & forest purpose under FCA 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Kanker Vally National Park Jagdalpur "Bharat Net project which is a GOI initiative- Under this project, connectivity will be provided at 5]987 GPS & 85 blocks through optical fibre cable laying of approÛimately 32,466 Km- The laying of Optical Fiber cable of 32,466 Km- will involve 26 districts across the State, Area 8.965 ha. reg.

संदर्भ : अवर सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन का क्रमांक एफ 5–28/2023/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 17/08/2023।

–00–

विषयांकित प्रकरण में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जो त्रुटियाँ पाई गयी है उनका निराकरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पाई गयी त्रुटियाँ	निराकरण
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 51 में व्यवस्थित Part.III के बिन्दु क्रमांक–7 तथा 8 की जानकारी/दस्तावेज प्रदाय नहीं किये गये है। इसी तरह पृष्ठ क्रमांक 52 के बिन्दु कमांक 13 में NIL लिखा है जबकि Yes/No में अंकित किया जाना था यही बिन्दु क्रमांक 14, 15 तथा 16 में Not Applicable लिखा है जबकि इसमें विस्तृत उत्तर प्रदाय किया जाना है।	यह बिंदु प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 30 एवं 31 से सम्बंधित है। यह बिंदु मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, इन्द्रवती टाइगर रिजर्व जगदलपुर से सम्बंधित है अतः इस बिंदु का निराकरण कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, इन्द्रवती टाइगर रिजर्व जगदलपुर द्वारा किया जावेगा।

2.	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 21.06.2021 में प्रदायित अनुशंसा अनुसार Kanger Vally National Park के 1.005 हे. वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है किन्तु इसका विस्तृत वर्णन नही दिया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा जिस 1.005 हे. वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है उस वनक्षेत्र में आवेदित वनक्षेत्र सम्मिलित है।	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 21.06.2021 में प्रदायित अनुशंसा अनुसार Kanger Vally National Park के 1.005 हे. वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है। राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा जिस 1.005 हे. वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है उस वनक्षेत्र में ही आवेदित वनक्षेत्र सम्मिलित है।
3.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग), नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक 6&175/2017/WL दिनांक 19.02.2018 में वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र के OFC प्रकरणों को राज्य शासन से अनुमति दिये जाने का प्रावधान है इसके शर्त क्रमांक–7 में निम्न प्रावधान है :– "The user agency will have to submit NOC from the agency which holds the right to use the right of way." उक्त NOC प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	NOC संलग्न है।
4.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग) नई दिल्ली के उक्त दिशा निर्देश दिनांक 19.02.2018 के शर्त क्रमांक 9 में निम्न निर्देश है:– "The State Board for Wildlife shall also suggest the time frame for completing of work on laying of drinking water pipeline and optical fiber cables within the pas after taking into account all the factors/issues involves in the work; यह स्पष्ट करें कि State Board for Wildlife द्वारा विषयांकित कार्य हेतु क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है।	State Board for Wildlife द्वारा विषयांकित कार्य हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नही कि गयी है।
5.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग), नई दिल्ली के उक्त दिशा निर्देश दिनांक 19.02.2018 के अन्य शर्तों पर आवेदक का वचन पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।	वचन पत्र संलग्न है।

प्रकरण में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पाई गयी त्रुटियाँ का निराकरण आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक 1201/A/मुकाअ/चिप्स/20223 रायपुर, दिनांक 01/09/2023

प्रतिलिपि :

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, चिप्स की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) अरण्य भवन की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदंती – सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर (छ.ग)

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

PART – III

(To be completed by the office-in-charge of the National park/ Sanctuary completed and submit to the Chief Wild Life Warden or authorized by him in this behalf within 30 days of receipt of PART-II)

1.	Date of receipt of the part -II	-	15/12/2021
2.	Total area (ha) of National park/ Sanctuary.	-	20000 Ha.
3.	Total area (ha.) diverted from the NP/WLS so far for development purposes	-	1.005 Ha.
4.	List the past Project and the area (ha.) diverted Name of Project/s Year of diversion	-	Nil
5.	Positive impact/s due to the diversion of area for the projects referred to in column 4 above Name of Project Positive impact Scientific basis of assessment	-	BharatNet Project Phase-II in State of Chhattisgarh. CHiPS Laying OFC under GOI initiative BharatNet Project Phase-II in State of Chhattisgarh. The OFC Laying within Kanger Vally National Park, Jagdalpur, District - Bastar (C.G.) to Connect Gram Panchayat with their Block Head Quarter to improved service delivery (online e-gram panchayat services, e-governance, e-education, e-health, e-medicine, e-grievances, e-agriculture, e-citizen, etc.
6.	Negative impact/s due to the diversion of area for the projects referred to in column 4 above Name of Project Positive impact Scientific basis of assessment	-	Nil
7.	Management plan period Attach copy of the Management plan/management scheme / recommendation of Chief Wild life Warden	-	The existing Mangement plan of kanger Vaiiey National Park- Jagdalpur is 2020-21 to 2030-31 Copy of Mangement plan is attached
8.	List Management action taken/ proposed to be taken in the whole block/Zone in Which the proposed area in located.	-	No Specific action is mentioned in the Mangement plan with respect to the diverted area.
9.	Type of Forest in which the proposed area falls.	-	Reserve Forest

Sr. No.	Forest Type	Forest Range	Forest Block	Comp. No.	Length (M.)	Width (M.)	Area (Ha.)
1.	Reserve Forest	Kotansar (NP)	Kamanar	89	4874.707	0.5	0.243
2.		Kotansar (NP)	Kamanar	90	7001.310	0.5	0.350
3.		Kotansar (NP)	Matharkonta	91	71.915	0.5	0.004
4.		Kotansar (NP)	Matharkonta	163	2639.917	0.5	0.132
5.		Kotansar (NP)	Tirathgarh	164	2637.126	0.5	0.132

6.		Kotansar (NP)	Tirathgarh	165	2875.401	0.5	0.144
Total				**6**	**20100.376**	**0.5**	**1.005**

10. Location of the proposed area w.r.t. the critical/ - Map attached
11. List of Likely POSITIVE AND NEGATIVE : impact/s of the proposed project giving scientific and technical justification for each impact - DGPS Survey Report Enclosed
12. Provide COMPREHNSIVE details of the proposal in terms of section 35(6) of the wild life (Protection) Act. 1972 as the case may be. - N.A.
13. Whether the project authorities have ever committed violation of the wildlife (Protection) Act. 1972 Of Forest conservation Act. 1980 if yes provide the EHAUSTIVE details of the offence and the present status of the case. - No violation of WPA,1972 and FCA,1980
14. Have you examined the project Appraisal document and the alternatives as provided in PART-II - information attached
15. Have you examined to bio diversity impact Assessment Report. - N.A.
16. If yes, please give your comments on the recommendations given in the Report. - N.A.
17. Dates and durations of your field visits to the proposed site. -
18. Do you agree that the present proposal of diversion of NP/WLS area is best of only option and is viable? - Yes
19. Any other information that you would bring to the notice of the state. - No

Rajesh Kumar Pandey
I.F.S.
Chief Conservator of Forest (wildlife)&
Fild Director, Indravati Tiger Reserve
Jagdalpur, Chhattisgarh

Ganveer Dhammshil
I.F.S.
Director,
Kanger Vally National Park,
Jagdalpur, Chhattisgarh

Part III (7)

आदेश द्वारा श्री पी.वी.नरसिंग राव, भा.व.से. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यजीवन वार्डन, छत्तीसगढ़

नार्थ ब्लाक, सेक्टर 19, अरण्य भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर

ईमेल – cwlwcg@gmail.com Fax. 0771-2512880

//आदेश //

क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध–392 / 219 नवा रायपुर दिनांक 30 / 12 / 2022

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर के पत्र कमांक व.प्रा. / त.अधि. / 3598 दिनांक 28.12.2022 द्वारा प्रस्तुत कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रारूप प्रबंधन योजना जो वर्ष 2020–21 से 2030–2031 हेतु निर्मित है, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के धारा 33 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग में लेते हुए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन हेतु इस 10 वर्षीय प्रबंधन योजना में वर्षवार प्रस्तावित कार्य जो प्रतिवर्ष किया जायेगा। इस प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधान अंतर्गत ही किया जायेगा। जब भी कैम्पा आदि अन्य एजेंसियों से राशि प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा, वो भी इसी प्रबंधन योजना में दी गई प्रावधान अंतर्गत ही तैयार किया जायेगा।

कार्योनुसार प्रति वर्ष कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा वित्तीय लक्ष्य सहित संचालक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय, जगदलपुर के माध्यम से ए.पी.ओ. प्रस्तुत किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरीय, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छत्तीसगढ़ द्वारा ए.पी.ओ. की स्वीकृति तथा आवश्यक बजट आबंटन पश्चात ही प्रबंधन कार्य किया जायेगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन)
सह मुख्य वन्यजीवन वार्डन
नवा रायपुर छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध / 4833 नवा रायपुर दिनांक 30 / 12 / 2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) और क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) जगदलपुर वृत्त।
3. संचालक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन)
सह मुख्य वन्यजीवन वार्डन
नवा रायपुर छत्तीसगढ़

03
04/01/2023

Part III (4)

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158,4023123 **email: ceochips@nic.in**

क्रमांक 1416/समुकाअ/चिप्स/2023 रायपुर, दिनांक 03/10/2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक,
इन्द्रावती टायगर रिजर्व,
जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.)

विषयः **Diversion of Forest Land for non-forest purpose under FCA, 1980 proposed for Bharat Net Phase-II Kanger Valley National park- Jagdalpur be provided at Bharat Net Project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS & 85 blocks through Optical Fiber Cable laying of approximately 32.466 KM the laying of Optical Fiber Cable of 32.466 KM will involve 26 ditricts across the State area 1.005 ha. reg.**

संदर्भः1.कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/व.जी./त.अधि./2022 जगदलपुर दिनांक 25/09/2023।

— 00 —

विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना भारतनेट परियोजना फेस–2 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से दूरसंचार सेवाओं से जोड़ने के लिए भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा रहा है। इसी तारतम्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर क्षेत्रांतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के अधिकार क्षेत्र (RoW) में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाना है। चूंकि उक्त परियोजना में ऑप्टिकल फाइबर केबल मार्ग के मौजूदा RoW में ही बिछाया जाना है, जिसका कोई विकल्प नहीं है तथा मार्ग में किसी प्रकार का वृक्षों का विदोहन नहीं किया जाना है। अतः उक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग के चयन की आवश्यकता नहीं है।

अतः निवेदन है कि उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में प्रथम चरण की अनुमति हेतु अग्रिम करने की कृपा करें, ताकि भारतनेट परियोजना फेस–2 को समय–सीमा के भीतर संपादित किया जा सके।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
(परियोजनाएं) चिप्स

क्रमांक 1416/नि/समुकाअ/चिप्स/2023 रायपुर, दिनांक 03/10/2023

प्रतिलिपिः—

01. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अ.प्र.मु.व.सं. (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, चिप्स की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
04. निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर को ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
(परियोजनाएं) चिप्स

बिन्दु क्र. (2)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक, अरण्य भवन, प्रथम तल (एफ.आर.) अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

cwlwcg@gmail.com (0771-2512880, 0771-2512881)

क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध–354 / 2896 नवा रायपुर, दिनांक 16 / 08 / 2021

प्रति,

1. विशेष सहायक,
   माननीय मंत्री
   वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण,
   परिवहन तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग
   रायपुर (छ.ग.)

2. माननीय श्री शिशुपाल सोरी,
   माननीय संसदीय सचिव,
   ई–2/43 सेक्टर -17, नवा रायपुर अटल नगर

3. माननीय श्री खेलसाय सिंह,
   माननीय सदस्य विधानसभा
   सी-2/20, आनंद नगर, रायपुर

4. माननीय श्री देवव्रत सिंह,
   माननीय सदस्य विधानसभा
   134 विला, मारुति लाईफ स्टाईल,
   मोहबा बाजार, कोटा रोड, रायपुर

5. प्रमुख सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग,
   मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
   अटल नगर, रायपुर

7. पुलिस महानिदेशक,
   छत्तीसगढ़ रायपुर

8. सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
   मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर

9. सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति,
   अनुसूचित जाति विकास विभाग,
   मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

10. प्रबंध संचालक,
    छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन बोर्ड, रायपुर

11. ब्रिगेडियर
छत्तीसगढ़ एंड ओडिसा, सब एरिया
नया रायपुर (छ.ग.)

12. संचालक,
पशु चिकित्सा विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

13. निदेशक,
मत्स्योद्योग विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

14. निदेशक,
भारतीय वन्यजीव संस्थान,
पो.बा.–18, चंद्रबानी, देहरादून
248001 उत्तराखंड
Email: dwii@wii.gov.in

15. निदेशक
बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, तृतीय एमएसओ बिल्डिंग
ब्लॉक– एफ, 5 एवं 6 तल, डी.एफ. ब्लॉक
सेक्टर–1, साल्टलेक सिटी, कोलकाता. 700064

16. निदेशक,
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
प्राणी विज्ञान भवन, एम–ब्लॉक, न्यू अलीपुर,
कोलकाता 700053

17. डॉ. आर. पी. मिश्रा,
वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया,
एफ–13, सेक्टर – 8, नोएडा
उत्तरप्रदेश – 201301

18. श्री सोमेन डे,
विश्व प्रकृति निधि के प्रतिनिधि (छ.ग. / म.प्र.)
सतपुड़ा मैकल लैण्डस्कैप, बाघ संरक्षण परियोजना,
WWF India, हाऊस नं. 30, दत्त टाऊन शीप,
तिलहरी, जबलपुर, 482020 (म.प्र.)
e-mail - deysoumen@gmail.com,

19. सुश्री मीतु गुप्ता
कंजरवेशन कोर सोसायटी,
बिलासपुर

20. डॉ. सुहास कुमार,
सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश

21. श्री के.सी. बेबर्ता
सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
प्लॉट नं. 33, ऑफिसर कॉलोनी, धरमपुरा, रायपुर

22. श्री मोहित साहू,
पक्षी विशेषज्ञ, रायपुर

23. श्री अमलेंदु मिश्रा,
पर्यावरणविद, अंबिकापुर

24. श्री हेमंत कश्यप,
पर्यावरणविद, बस्तर

25. श्री राजेश यदु,
बलौदाबाजार

26. श्री मोईज अहमद,
नोवा नेचर वेल फेयर सोसायटी, रायपुर

27. श्री खगेश्वर नायक,
पूर्व निदेशक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
भुवनेश्वर, ओडिसा

28. सुश्री नेहा सामुएल,
दुर्ग (छ.ग.)

29. डॉ. शिवाजी चौहान,
सेवानिवृत्त वन अधिकारी,
मुम्बई

विषय :– छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 12 वीं बैठक दिनांक 21.06.2021 का कार्यवाही विवरण प्रेषित करने बाबत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्र. 1903 दिनांक 14.06.2021.

––0––

विषयांतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में "छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड" की 12वीं बैठक दिनांक 21.06.2021 को रायपुर में संपन्न हुई थी। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण सक्षम अनुमोदन उपरांत संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :– कार्यवाही विवरण।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं
सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य
वन्यजीव बोर्ड, नया रायपुर

पृ. क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध–354 / 2897 नवा रायपुर, दिनांक 16 / 08 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर छ.ग.
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय / वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़,
4. समस्त वनमण्डलाधिकारी, छत्तीसगढ,
5. संचालक सह वनमण्डलाधिकारी, जंगल सफारी, नवा रायपुर,

6. संचालक अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व, बिलासपुर,
7 संचालक कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर,
8. संचालक, गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर,
9 उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिवर्ज बीजापुर/उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद/अचानकमार टायगर रिजर्व लोरमी/एलीफेंट रिजर्व सरगुजा ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं
सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य
वन्यजीव बोर्ड, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं बैठक दिनांक 21 जून, 2021 का कार्यवाही विवरण

*****

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं बैठक श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2021 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित बोर्ड के सदस्यों एवं विशेष आमंत्रितों की सूची परिशिष्ट–एक में दर्शित है।

सर्वप्रथम श्री पी. वी. नरसिंग राव, भा.व.से. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ द्वारा राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ शासन, उपाध्यक्ष माननीय वनमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं बोर्ड के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया।

अचानकमार टायगर रिजर्व अंतर्गत वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र विकास, पेयजल व्यवस्था, नरवा विकास कार्य, अग्नि सुरक्षा कार्य एवं अन्य कार्य अंतर्गत वर्ष 2021–22 में लगभग 25.80 करोड रूपये के विकास कार्यों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के करकमलों से किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यवाही प्रारंभ की जिसका एजेण्डावार विवरण निम्नानुसार है :–

एजेण्डा आयटम 12/1 :– बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दि. 24.11.2019 के कार्यवाही विवरण/ पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन –

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की ग्यारहवी बैठक दिनांक 24.11.2019 में पारित प्रस्तावो पर की गई कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया गया। कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ, अनुमोदन किया।

एजेण्डा आयटम 12/2 :– भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि के गैर–वानिकी प्रयोजन हेतु स्वीकृति–

भारत नेट परियोजना के तहत छत्तीसगढ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोडने एवं डिजिटलीकृत किया जाना है। इस परियोजना के तहत मेसर्स छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) ने छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नानुसार संरक्षित क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु आवेदन कर रजिस्ट्रेशन की अनुमति मांगी है। प्रकरण का परीक्षण उपरांत पंजीयन किये जाने बावत अनापत्ति प्रदाय की जा चुकी है। प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. गोमार्डा अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 0.825 हे.
2. उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत वन क्षेत्र 9.589 हे. 8.965 है
3. तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 1.423 हे एवं राजस्व वन 0.39 हे. कुल 1.462 हे.

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
[illegible]

4. इंद्रावती टायगर रिजर्व अंतर्गत वन क्षेत्र 5.777 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.103 हे. कुल 5.880 हे.

5. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत वन क्षेत्र 1.005 हे.

6. भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 3.579 हे.

इन समस्त प्रकरणो में वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर अंतिम स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

पारित प्रस्ताव — कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही द्वारा — प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), समस्त मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर तथा मुख्य वन संरक्षक दुर्ग एवं वन संरक्षक, एलीफेंट रिजर्व सरगुजा)

एजेण्डा आयटम 12/3 :— भोरमदेव अभ्यारण्य, कवर्धा अंतर्गत जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने बाबत् :—

मेसर्स जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा छत्तीसगढ संचार क्रांति योजना के तहत समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने सड़क के समानान्तर रकबा 1.165 हे. वनभूमि के गैर—वानिकी उपयोग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकरण में वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर अंतिम स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

पारित प्रस्ताव :— कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही द्वारा — प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) दुर्ग एवं मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर, एवं वनमंडलाधिकारी कवर्धा)

एजेण्डा आयटम 12/4 :— वनक्षेत्र में भ्रमण कर रहे हाथियों को रेडियो कॉलरिंग किया जाना —

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 12 हाथियों को रेडियों कॉलर किये जाने का अनुमति वर्ष 2017 में प्राप्त हुई थी। इन हाथियों में रेडियो कॉलरिंग हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून (WII) एवं वाइल्ड लाइफ (SOS) संस्थान नई दिल्ली से रेडियो कॉलरिंग हेतु अनुबंध किया गया था। इन संस्थानों द्वारा वर्ष 2019—20 तक 08 हाथियों में रेडियो कॉलरिंग की गई थी जिसमें से 06 रेडियो कॉलर का समय पूर्ण हो गया है जिसे पुनः रेडियो कॉलरिंग किया जाना है। शेष बच गये 04 हाथियों में रेडियो कॉलरिंग किया जाना है। इस प्रकार कुल 10 जंगली हाथियों में रेडियो कॉलरिंग भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून (WII) एवं वाइल्ड लाइफ (SOS) संस्थान द्वारा किया जायेगा। रेडियो कॉलरिंग हेतु माह जनवरी 2021 मे 01 वर्ष की समय वृद्धि भारत सरकार द्वारा प्राप्त हो गयी है।

पारित प्रस्ताव — उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु अनुमति बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हाथियों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हेतु बडे जलस्रोत का निर्माण तथा भोजन हेतु हाथी विचरण क्षेत्रों में हाथी द्वारा खायी जाने वाली युक्तियुक्त प्रजातियों का रोपण सुनिश्चित किया

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,

विषय 3 (3)

भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय		Telephone: 0771 - 2436637, Telefax: 0771- 2436637 Government of India Ministry of Road Transport & Highways
क्षेत्रिय कार्यालय एन.एच. कैम्पस, पेंशन बाड़ा रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492 001		Office of the Regional Officer, NH Campus, Pension Bada, Raipur, Chhattisgarh - 492 001
RO/CG/OFC/BharatNet/NH-30/2019-20/24/ 1274		Dated 20.03.2020

To,

The CEO (CHiPS),
O/o CHiPS SDC Building, Civil Lines,
Raipur Chhattisgarh.

Sub: Provisional NOC for laying underground Optical Fiber Cable from Ch.106 to Ch.126, Ch.285 to Ch.290 of NH-30 & Ch. 294 to Ch. 317 of NH-63, in the State of Chhattisgarh - Reg.

Ref: (i) The JCEO(A), CHiPS, letter No. 389/ACEO/CHiPS/BharatNet/2020 dtd 10.02.2020.
(ii) This office letter No. RO CG/OFC/BharatNet/NH-30/2019-20/24/1013 dated 14.01.2020.

Sir,

Please refer to your office letter under reference vide which intimation regarding License Fee and Bank Guarantee submission for Permission/NOC of laying underground Optical Fiber Cable from Ch.106 to Ch.126, Ch.285 to Ch.290 of NH-30 & Ch. 294 to Ch. 317 of NH-63 has been provided to this office.

2. As per Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016, the proposal was uploaded on Ministry's website www.morth.nic.in for 30 days for public comments on ground of public interest. No comments have been received in this office within given time frame.

3. Hence, the permission for laying underground Optical Fiber Cable from Ch.106 to Ch.126, Ch.285 to Ch.290 of NH-30 & Ch. 294 to Ch. 317 of NH-63 is hereby accorded subject to the following conditions:-

(i) The EE (NH), PWD, Jagdalpur shall ensure that all the conditions laid down in the relevant MoRT&H circulars as applicable in the matter have been fulfilled.

(ii) The initial permission would be valid for a maximum 5 years at a time, which can thereafter be considered for renewal.

(iii) It will be the responsibility of the applicant to rectify any damage which occurs at site to any other existing utility at its own cost.

(iv) In case at any stage, if shifting of Optical Fiber Cable is required for a work related to NH-30 and 63, then the same shifting shall be done immediately by applicant at their own cost. The licensee shall shift the utility services within 90 days (or as

specified by the respective Authority) from the date of issue of the notice by the Highway Administration.

(v) MORTH/Authority shall not be responsible for any damage caused to the Optical Fiber Cable at any time. Repair/rectification of such damage, if any, shall be carried out by the applicant at their own cost.

(vi) Any crossing of Optical Fiber Cable or its operation at later stage, shall be done without causing any damage to the road, and if it occurs then applicant will be required to restore the road to its original condition at his own cost to the satisfaction of EE (NH), PWD, Jagdalpur.

(vii) The applicant shall have to make all necessary arrangements for safety of Highway users and workers and also ensure that no hindrance is caused to Highway traffic by providing barricading, danger lighting and other necessary caution boards while executing the work.

(viii) The applicant shall obtain the various safety clearances from the respective authorities as applicable, himself.

(ix) No structures or inspection chamber will be constructed in NH land affecting future planning/usage of ROW.

(x) The top of the casing/conduit pipe containing the utility services to cross the road shall be at least 1.20m below the top of the subgrade or the existing ground level whichever is lower, subject to being at least 0.30 m below the drain inverts.

(xi) The Optical Fiber Cable shall be encased in the M.S. pipes or through structures or conduits specially built for that purpose at the expense of the applicant. Under no circumstances, existing drainage structures will be allowed to carry the OFC line across the NH.

(xii) The applicant shall be responsible for traffic management during the execution of work.

(xiii) The Optical Fiber Cable shall cross the NH preferably on a line normal to it or as nearly so as practicable. The casing/conduit pipe should, as minimum, extend from drain to drain in cuts and toe of the slope to toe of slope in the fills.

(xiv) The casing/conduit pipe will strictly pass through the extreme edge of ROW.

(xv) The necessary entry of the proposed permission shall be made by the EE (NH), PWD, Jagdalpur in the register of records of the permissions in the prescribed Performa.

(xvi) All the norms stipulated in Ministry's Guidelines No. RW/NH-33023/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016 shall be strictly followed and safety of highway users shall not be compromised in any case.

(xvii) The applicant shall apply for issuance of completion certificate after installing the utilities as per approved drawings. The utility services shall be made operational by

the Licensee only after a completion certificate to the effect is issued by the Highway Administration.

4. Notwithstanding anything in the above paragraphs & under the following circumstances, the Provisional NOC issued deems to be cancelled:

(i) If any document/information furnished by the applicant proves to be false or if the applicant is found to have willfully suppressed any information.

(ii) Any breach of the condition imposed by the Highway Administration or the officer authorized by the Administration on his behalf.

5. This is being issued with the approval of the Highway Administration-cum-Regional Officer (MoRT&H), Raipur.

Yours faithfully,

Encl:
(i) Signed copy of License Deed
(ii) Layout plan duly countersigned by the Regional Officer

(Shreya Pipri)
Asstt. Executive Engineer
For Regional Officer

Copy to:

(i) The Chief Engineer (NH), Public Works Department, Pension Bada, Raipur.
(ii) The Executive Engineer (NH), PWD, NH Division, Jagdalpur .

(Shreya Pipri)
Asstt. Executive Engineer
For Regional Officer

बिन्दु क्र. (4)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक, अरण्य भवन, प्रथम तल (एफ.आर.) अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

cwlwcg@gmail.com (0771-2512880, 0771-2512881)

क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध–354 / 2896 नवा रायपुर, दिनांक 16 / 08 / 2021

प्रति,

1. विशेष सहायक,
   माननीय मंत्री
   वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण,
   परिवहन तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग
   रायपुर (छ.ग.)

2. माननीय श्री शिशुपाल सोरी,
   माननीय संसदीय सचिव,
   ई–2 / 43 सेक्टर -17, नवा रायपुर अटल नगर

3. माननीय श्री खेलसाय सिंह,
   माननीय सदस्य विधानसभा
   सी -2 / 20, आनंद नगर, रायपुर

4. माननीय श्री देवव्रत सिंह,
   माननीय सदस्य विधानसभा
   134 विला, मारूति लाईफ स्टाईल,
   मोहबा बाजार, कोटा रोड, रायपुर

5. प्रमुख सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग,
   मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
   अटल नगर, रायपुर

7. पुलिस महानिदेशक,
   छत्तीसगढ रायपुर

8. सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
   मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर

9. सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति,
   अनुसूचित जाति विकास विभाग,
   मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

10. प्रबंध संचालक,
    छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन बोर्ड, रायपुर

11. ब्रिगेडियर
छत्तीसगढ़ एंड ओडिसा, सब एरिया
नया रायपुर (छ.ग.)

12. संचालक,
पशु चिकित्सा विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

13. निदेशक,
मत्स्योद्योग विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

14. निदेशक,
भारतीय वन्यजीव संस्थान,
पो.बा.–18, चंद्रबानी, देहरादून
248001 उत्तराखंड
Email: dwii@wii.gov.in

15. निदेशक
बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, तृतीय एमएसओ बिल्डिंग
ब्लॉक– एफ, 5 एवं 6 तल, डी.एफ. ब्लॉक
सेक्टर–1, साल्टलेक सिटी, कोलकाता. 700064

16. निदेशक,
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
प्राणी विज्ञान भवन, एम–ब्लॉक, न्यू अलीपुर,
कोलकाता 700053

17. डॉ. आर. पी. मिश्रा,
वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया,
एफ–13, सेक्टर – 8, नोएडा
उत्तरप्रदेश – 201301

18. श्री सोमेन डे,
विश्व प्रकृति निधि के प्रतिनिधि (छ.ग./म.प्र.)
सतपुड़ा मैकल लैण्डस्कैप, बाघ संरक्षण परियोजना
WWF India, हाऊस नं. 30, दत्त टाऊन शीप,
तिलहरी, जबलपुर, 482020 (म.प्र.)
e-mail - deysoumen@gmail.com,

19. सुश्री मीतु गुप्ता
कंजरवेशन कोर सोसायटी,
बिलासपुर

20. डॉ. सुहास कुमार,
सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश

21. श्री के.सी. बेबर्ता
सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
प्लॉट नं. 33, ऑफिसर कॉलोनी, धरमपुरा, रायपुर

22. श्री मोहित साहू,
पक्षी विशेषज्ञ, रायपुर

23. श्री अमलेंदु मिश्रा,
पर्यावरणविद, अंबिकापुर

24. श्री हेमंत कश्यप,
पर्यावरणविद, बस्तर

25. श्री राजेश यदु,
बलौदाबाजार

26. श्री मोईज अहमद,
नोवा नेचर वेल फेयर सोसायटी, रायपुर

27. श्री खगेश्वर नायक,
पूर्व निदेशक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
भुवनेश्वर, ओडिसा

28. सुश्री नेहा सामुएल,
दुर्ग (छ.ग.)

29. डॉ. शिवाजी चौहान,
सेवानिवृत्त वन अधिकारी,
मुम्बई

विषय :— छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 12 वीं बैठक दिनांक 21.06.2021 का कार्यवाही विवरण प्रेषित करने बाबत्।

संदर्भ :— इस कार्यालय का पत्र क्र. 1903 दिनांक 14.06.2021.

—0—

विषयांतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में "छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड" की 12वीं बैठक दिनांक 21.06.2021 को रायपुर में संपन्न हुई थी। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण सक्षम अनुमोदन उपरांत संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :— कार्यवाही विवरण।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं
सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य
वन्यजीव बोर्ड, नया रायपुर

पृ. क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध—354 / 2897 नवा रायपुर, दिनांक 16 / 08 / 2021

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर छ.ग.
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय / वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़,
4. समस्त वनमण्डलाधिकारी, छत्तीसगढ,
5. संचालक सह वनमण्डलाधिकारी, जंगल सफारी, नवा रायपुर,

6. संचालक अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व, बिलासपुर,
7. संचालक कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर,
8. संचालक, गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर,
9. उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिवर्ज बीजापुर/उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद/अचानकमार टायगर रिजर्व लोरमी/एलीफेंट रिजर्व सरगुजा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं
सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य
वन्यजीव बोर्ड, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं बैठक दिनांक 21 जून, 2021 का कार्यवाही विवरण

*****

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं बैठक श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2021 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित बोर्ड के सदस्यों एवं विशेष आमंत्रितों की सूची परिशिष्ट–एक में दर्शित है।

सर्वप्रथम श्री पी. वी. नरसिंग राव, भा.व.से. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, उपाध्यक्ष माननीय वनमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं बोर्ड के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया।

अचानकमार टायगर रिजर्व अंतर्गत वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र विकास, पेयजल व्यवस्था, नरवा विकास कार्य, अग्नि सुरक्षा कार्य एवं अन्य कार्य अंतर्गत वर्ष 2021–22 में लगभग 25.80 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के करकमलों से किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यवाही प्रारंभ की जिसका एजेण्डावार विवरण निम्नानुसार है :–

एजेण्डा आयटम 12/1 :– बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दि. 24.11.2019 के कार्यवाही विवरण/ पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन –

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 24.11.2019 में पारित प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया गया। कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ, अनुमोदन किया।

एजेण्डा आयटम 12/2 :– भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि के गैर–वानिकी प्रयोजन हेतु स्वीकृति–

भारत नेट परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजिटलीकृत किया जाना है। इस परियोजना के तहत मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) ने छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नानुसार संरक्षित क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु आवेदन कर रजिस्ट्रेशन की अनुमति मांगी है। प्रकरण का परीक्षण उपरांत पंजीयन किये जाने बावत अनापत्ति प्रदाय की जा चुकी है। प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. गोमार्डा अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 0.825 हे.
2. उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत वन क्षेत्र 9.589 हे. 8.965 हे
3. तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 1.423 हे. एवं राजस्व वन 0.39 हे. कुल 1.462 हे.

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
[illegible]

4. इंद्रावती टायगर रिजर्व अंतर्गत वन क्षेत्र 5.777 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.103 हे. कुल 5.880 हे

5. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत वन क्षेत्र 1.005 हे.

6. भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 3.579 हे. क्र. 3567 दि: 28.4.21

इन समस्त प्रकरणों में वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर अंतिम स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

पारित प्रस्ताव – कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

{कार्यवाही द्वारा – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) समस्त मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर तथा मुख्य वन संरक्षक दुर्ग एवं वन संरक्षक, एलीफेंट रिजर्व सरगुजा}

एजेण्डा आयटम 12/3 :– भोरमदेव अभ्यारण्य, कवर्धा अंतर्गत जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने बाबत् :–

मेसर्स जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा छत्तीसगढ संचार क्रांति योजना के तहत समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने सडक के समानान्तर रकबा 1.165 हे. वनभूमि के गैर–वानिकी उपयोग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकरण में वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर अंतिम स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

पारित प्रस्ताव :– कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

{कार्यवाही द्वारा – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) दुर्ग एवं मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर, एवं वनमंडलाधिकारी कवर्धा}

एजेण्डा आयटम 12/4 :– वनक्षेत्र में भ्रमण कर रहे हाथियों को रेडियो कॉलरिंग किया जाना –

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 12 हाथियों को रेडियों कॉलर किये जाने का अनुमति वर्ष 2017 में प्राप्त हुई थी। इन हाथियों में रेडियो कॉलरिंग हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून (WII) एवं वाइल्ड लाइफ (SOS) संस्थान नई दिल्ली से रेडियो कॉलरिंग हेतु अनुबंध किया गया था। इन संस्थानों द्वारा वर्ष 2019–20 तक 08 हाथियों में रेडियों कॉलरिंग की गई थी जिसमें से 06 रेडियो कॉलर का समय पूर्ण हो गया है जिसे पुनः रेडियो कॉलरिंग किया जाना है। शेष बच गये 04 हाथियों में रेडियो कॉलरिंग किया जाना है। इस प्रकार कुल 10 जंगली हाथियों में रेडियो कॉलरिंग भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून (WII) एवं वाइल्ड लाइफ (SOS) संस्थान द्वारा किया जायेगा। रेडियो कॉलरिंग हेतु माह जनवरी 2021 में 01 वर्ष की समय वृद्धि भारत सरकार द्वारा प्राप्त हो गयी है।

पारित प्रस्ताव – उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु अनुमति बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हाथियो के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हेतु बडे जलस्रोत का निर्माण तथा भोजन हेतु हाथी विचरण क्षेत्रों में हाथी द्वारा खायी जाने वाली युक्तियुक्त प्रजातियां का रोपण सुनिश्चित किया

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

विन्दु क्र. 5

कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

क्रमांक 1201 / मुकाअ / चिप्स / 2023 रायपुर, दिनांक 01/09/2023

Undertaking

on behalf of the applicant organization "Chhattisgarh Infotech Promotion Soiety (CHiPS) Raipur (C.G.)" on other conditions of the guidelines dated 19.02.2018 of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Wildlife Division), New Delhi, in the context of BharatNet Project Phase-II :-

1.	The size of the trench will not exceed more than 2.0 m depth and 1.0 m width.	**Agreed**
2.	The user agency agrees to make good the land after use/maintenance.	**Agreed**
3.	The user agency agrees to make good any loss to forest / environment.	**Agreed**
4.	The user agency seeks permission from the State Forest Department for carrying out any maintenance.	**Agreed**
5.	The diameter of drinking water pipeline will not exceed 4 inches in diameter.	**Agreed**
6.	No civil structures will be built with the laying of drinking water pipeline and optical fiber cables.	**Agreed**
7.	The user agency will have to submit NOC from the agency which holds the right to use the right of way.	**Agreed**
8.	The State Government / Union Territories shall ensure that the length of the trench dug at a time does not exceed 500 m which shall be filled up and compacted before digging next stretch of 500 m.	**Agreed**
9.	The State Board for Wildlife shall also suggest the time frame for completing of work of on laying of drinking water pipeline and optical fiber cables within the Pas after taking into account all the factors/issues involves in the work.	**Agreed**
10.	The user agency shall provide water supply points within the PAs if demanded by the Chief Wildlife Warden or in-charge of PA but not more than per sq.km.	**Agreed**
11.	This approval shall be valid for five years till 31.12.2023.	**Agreed**
12.	The State Government / Union Territories will submit a monthly progress report on the extent of the forestland diverted for such purposes to the Ministry as well as the concerned Regional Offices.	**Agreed**

The applicant organization "Chhattisgarh Infotech Promotion Soiety (CHiPS) Raipur (C.G.)" undertakes to accept the above mentioned conditions of the guidelines of MoEF&CC (WL Division).

(Ravindra Kumar Pateriya)
Joint CEO,
Chhattisgarh Infotech Promotion Soiety (CHiPS)
Civil Lines, Raipur (C.G.)

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी सिटी, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.) CHiPS State Data Center Civil Lines, Raipur (CG) Chhattisgarh Infotech Promotion Society